तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.5.023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0 वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने में पेश किया गया जवाब दावे की प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी द्वारा [illegible] करने का अवसर [illegible] देना चाहिए किया गया वकील प्रार्थीगण द्वारा राजीनामा किया पेश किया जाना चाहिए किया गया। पत्रावली वास्ते पेश किये जाने राजीनामा हेतु दिनांक 5.6.023 को पेश हो	[illegible] 18.5.23
5/6/023	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वादी व प्रतिवादीगण में स्वयं उप0 होकर आपस में राजीनामा प्रस्तुत किया जिसकी पश्चात सत्यापित [illegible] दर्ज की गई। राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया जिसे सही होना स्वीकार किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निर्णित करने की प्रार्थना की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी का राजीनामा के अनुसार [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय मुताबिक [illegible] गया। तदनुसार डिक्री मुर्तब की जावे [illegible] पत्रावली [illegible] की जावे [illegible] दाखिल दफ्तर हो	[illegible] गीता बाई [illegible] मीना नायक [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71/2019	09/10/2019	05/06/2023

1– प्रदीप पुत्र हेमराज जाति धाकड निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– वादी

बनाम

1– हेमराज पुत्र सुखदेव जाति धाकड निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

2– गीताबाई पत्नि हेमराज जाति धाकड निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

3– योगेन्द्र पुत्र हेमराज जाति धाकड निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

4– प्रेमशंकर पुत्र हेमराज जाति धाकड निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

5– मीना पुत्री हेमराज पत्नि विकल्प जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा

6– अनीता पुत्री हेमराज पत्नि जुगलकिशोर जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट

निर्णय

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अयाना पटवार क्षैत्र अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 833 में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में खसरा संख्या 793 रकबा 0.02है., खसरा संख्या 2506 रकबा 2.33है., खसरा संख्या 2638 रकबा 2.15है., खसरा संख्या 2639 रकबा 1.42है., कुल किता 4 कुल रकबा 5.92है., भूमि तथा ग्राम अयाना की ही जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 127 में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 के माता प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में खसरा संख्या 2522 रकबा 4.58है., भूमि स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है। यह कि ऊपर वर्णित विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के माता–पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के पूर्वज सुखदेवजी से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी अपने निहित हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। इस

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

प्रकार विवादित भूमि में वादी का जन्म से ही 1/5 हिस्सा बनता है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 इसी अनुरुप विवादित भूमि पर अपने–अपने हिस्से के मुताबिक शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 व 6 को उनके अंश के अनुसार पर्याप्त धन सम्पदा प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रम 5 व 6 का कोई अंश अथवा अधिकार शेष नही है। वादी विवादित भूमि मे अपने 1/5 हिस्से की भूमि पर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है किन्तु राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम के अंकन का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तानान्तरित करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विवादित भूमि में 1/5 हिस्से की भूमि में ही हित निहित है एवं इसी अनुरुप ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विवादित भूमि में वादी के निहित 1/5 हिस्से के विरुद्ध कोई अधिकार धारित नहीं करता है। राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू–सुधार हेतु कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपने–अपने 1/5 हिस्से की घोषणा करवाकर उसका पृथक से बंटवारा करवाकर पृथक से लगान कायम करावे। दिनांक 05/09/2019 का वादी ने बंटवारा करने हेतु अपने माता–पिता प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार करते हुए कहा कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो, इस पर वादी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद कारण दिनांक 05/09/2019 को वादी द्वारा उनके माता–पिता प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से उसके हिस्से की भूमि खाते दर्ज करवा कर बंटवारा करने बाबत् निवेदन करने व उनके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रुप मे संयोजित किया गया है। उन्हें केवल मात्र न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करनी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 से कोई विशेष अनुतोष वांछित नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि में वादी को उसके निहित अंश 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। वादी के 1/5 हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

प्रतिवादीक्रम 3 व 4 का भी विवादित भूमि मे जन्म से ही 1/5 – 1/5 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी क्रम 3 व 4 इसी अनुरुप विवादित भूमि में अपने 1/5–1/5 हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

यह कि राजस्व अभिलेख में नाम न होने से प्रतिवादी क्रम 3 व 4 का भू–सुधार हेतु कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है इन परिस्थितियों में प्रतिवादीक्रम 3 व 4 के लिये भी आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व अभिलेख में अपने–अपने 1/5– 1/5 हिस्से की घोषणा करवाकर उसका प्रथक से बंटवारा करवाकर पृथक से लगान कायम करावे।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीक्रम 3 व 4 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को 1/5 – 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किया जाकर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 के 1/5 –1/5 हिस्से की भूमि का प्रथक से विभाजन किया जाकर प्रथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी कम 1 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। पत्रावली में प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त हेतु No-objection किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु नियत की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 6 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। वकील वादी काउंटर क्लेम का जवाब देना नहीं चाहते हैं यह कहते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजिनामा हो गया है। पत्रावली राजीनामा पेश करने बाबत नियत की गई।

पक्षकारान द्वारा पत्रावली में आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी कम 07 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में प्रतिवादी कम 7 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी कम 7 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकरण एक ही परिवार के सदस्यगणों के मध्य पैतृक सम्पत्ति के विभाजन को लेकर है। प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

विवादित आराजी में प्रतिवादीकम 1 हेमराज मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070–73 माल ग्राम अयाना तह0 पीपल्दा बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2070–73 माल ग्राम अयाना में प्रतिवादीकम 2 गीताबाई बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूँकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनके मध्य विवादित आराजी के विभाजन को लेकर वाद विचाराधीन है। प्रकरण में पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होने से एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत परिवार के सभी सदस्यों का पैतृक भूमि में जन्म से ही हक अधिकारी है। जिसे प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी में निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

1. वादी प्रदीप पुत्र हेमराज जाति धाकड निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम अयाना की खसरा सं0 2638 रकबा 2.15है0, खसरा संख्या 2639 रकबा 1.42है0 कुल 2 किता की कुल रकबा 3.57है0 कृषि भूमि
2. प्रतिवादी कम 1 हेमराज पुत्र सुखदेव जाति धाकड़ निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम अयाना की खसरा सं0 2506 रकबा 2.33है0 में से दक्षिण दिशा की 1.12है0 कृषि भूमि, खसरा सं0 793 रकबा 0.0 0है0 कुल 2 किता की कुल रकबा 1.14है0 कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी कम 2 गीताबाई पत्नि हेमराज जाति धाकड़ निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम अयाना की खसरा सं0 2522 रकबा 4.58है0 में से दक्षिण दिशा की 1.70है0 कृषि भूमि।
4. प्रतिवादी कम 3 योगेन्द्र पुत्र हेमराज जाति धाकड़ निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम अयाना की खसरा सं0 2522 रकबा 4.58है0 में से उत्तर दिशा की 2.88है0 कृषि भूमि।
5. प्रतिवादी कम 4 प्रेमशंकर पुत्र हेमराज जाति धाकड़ निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम अयाना की खसरा सं0 2506 रकबा 2.33है0 में से उत्तर दिशा की 1.21है0 कृषि भूमि।
6. प्रतिवादी कम 5 मीना पुत्री हेमराज पत्नि विकल्प जाति धाकड निवासी इटावा तह0 पीपल्दा तथा प्रतिवादी कम 6 अनीता पुत्री हेमराज पत्नि जुगलकिशोर जाति धाकड निवासी इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 विवाहित होकर अपने–अपने ससुराल में सुखपूर्वक निवास कर रही है। प्रतिवादी कम 5, 6 को प्रतिवादी कम

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

1, 2 द्वारा उनके विवाह के समय एवं समय–समय पर पर्याप्त सम्पदा प्रदान की हुई है इसलिए प्रतिवादी क्रम 5, 6 विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं होगा।

विवादित आराजीयात् में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा